<u>न्यायालयः मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरतगढ़</u>

<u>जिला श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी :: राजकुमार शर्मा

क्लेम याचिका संख्या :: 120/2012 (10/2009)

1. विष्णुकंवर पत्नी स्व0 श्री भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 37 साल, निवासी आर–5/202 एसटीपीएस कॉलोनी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रविन्द्रप्रताप पुत्र श्री भंवरसिंह उम्र 11 वर्ष,
3. हिनाकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह उम्र 13 वर्ष,
   आवेदक संख्या 2 व 3 नाबालिगान जरिए माता विष्णुकंवर आवेदिका संख्या–1 विष्णुकंवर पत्नी स्व0 श्री भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 37 साल, निवासी आर–5/202 एसटीपीएस कॉलोनी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थीगण/आवेदकगण

वि रू द्ध

1. ताराचन्द पुत्र श्री गोपालराम जाति खाती आयु 34 वर्ष, निवासी धीरेरां, जिला बीकानेर (राज0)।
   (चालक ट्रक नंबर आरजे–07 जीए–0988)
2. किशनलाल पुत्र श्री पदमाराम जाति जाट, निवासी खियेरां तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (राज0)।
   (मालिक ट्रक नंबर आरजे–07 जीए–0988)
3. दी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 क्षेत्रीय कार्यालय एनएच 15 जिला श्रीगंगानगर।
   (बीमा कम्पनी ट्रक नंबर आरजे–07 जीए–0988)

––अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान दुर्घटना अधिनियम</u>

प्रतिनिधित्वः–

1. श्री सुखदीप सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/आवेदकगण।
2. श्री अमित कपूर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अनावेदक सं. 1 व 2.
3. श्री पुरूषोतम आहुजा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अनावेदक सं. 3.

<u>:: निर्णय ::</u>

दिनांक :– 02.07.2015

01– यह क्लेम याचिका आवेदकगण श्रीमती विष्णुकंवर वगैरा द्वारा दिनांक 30.03.2009 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2 श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत होने के उपरांत कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के आदेशानुसार नियमानुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर

प्राप्त होने पर पंजीबद्ध की गई।

02— आवेदकगण श्रीमती विष्णुकंवर वगैरा द्वारा मोटरयान दुर्घटना में भंवरसिंह की मृत्यु होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति हेतु दावा याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की कि दिनांक 14.09.2008 को मृतक भंवरसिंह वक्त करीब दोपहर को 2.30 बजे थर्मल से इंदिरा सर्कल होते हुए एनएच 15 पर अपनी मारूति कार संख्या सीएच—01, 1एन—7133 से जा रहा था तभी ट्रक नंबर आरजे 07 जीए 0988 के चालक ताराचन्द ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कार के ऊपर चढ़ा दिया और कार को 30—40 फुट तक घसीटता हुआ ले गया जिसके परिणामस्वरूप कार सवार भंवरसिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई इत्यादि। इस दुर्घटना की रिपोर्ट संख्या 576/2008 पुलिस थाना सूरतगढ़ पर दर्ज करवाई गई। यह दुर्घटना अप्रार्थी ताराचन्द द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारने के कारण घटित होना बताते हुए प्रार्थीगण/आवेदकगण ने विपक्षीगण से कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,20,30,000/—रूपये दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

03— अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा याचिका का संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत करते हुए याचिका में वर्णित अधिकत्तर तथ्यों को ज्ञान के अभाव में अस्वीकार होना व्यक्त करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही से कारित हुई है, उसके द्वारा पहले एक अज्ञात ट्रक के टक्कर मारी उसके बाद अनावेदकगण के सड़क किनारे खड़े वाहन में विपरीत दिशा से आकर टक्कर मारी है। अन्त में आवेदकगण के वाहन का बीमा होना व्यक्त करते हुए दायित्व नियत किए जाने पर प्रतिकर अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी अनावेदक संख्या 3 बीमा कम्पनी की होना जाहिर किया और स्वयं के विरूद्ध याचिका अस्वीकार करने का निवेदन किया।

04— अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में दुर्घटना स्वयं कार चालक मृतक भंवरसिंह की गलती से कारित होना, वरवक्त दुर्घटना मृतक भंवरसिंह के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं होना, बीमा कम्पनी को दुर्घटना की तुरन्त सूचना नहीं दिया जाना एवं बीमा पॉलिसी की शर्तो की पालना नहीं किया जाना तथा याचिका के ज्यादातर तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए साक्ष्य का मोहताज बताया। विकल्प में, दुर्घटना में मृतक भंवरसिंह की लापरवाही

को मध्यनजर रखते हुए, कन्ट्रीब्यूटरी नेगलीजेंस की हद तक क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की प्रार्थना के साथ याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

05– पक्षकारों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गएः–

1. आया दिनांक 14.09.2008 को वक्त 2.30 पीएम पर वाके सड़क आम नेशनल हाईवे 15 सूरतगढ़ स्थित इंदिरा सर्कल से मानकसर के बीच पर ट्रक संख्या आर जे 07 जीए 0988 के चालक विपक्षी संख्या 1 ताराचंद ने लापरवाही से चलाकर मारूति कार संख्या सीएच 01–1एन–7133 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप कार चालक भंवरसिंह की मृत्यु हुई ?

––याचीगण

2. (1) प्रार्थीगण दुर्घटना में भंवरसिंह की हुई मृत्यु के कारण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

(2) यदि हॉ, तो किस–किस अप्रार्थी से ?

––याचीगण

3. अनुतोष ?

06– प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए ड 1 विष्णुकंवर, ए ड 2 सुनील जालप, ए ड 3 कमल शर्मा को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 19 पेश कर प्रदर्शित करवाये गए जिनका आगे सुविधानुसार विवेचन किया जावेगा।

07– अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई भी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौखिक साक्ष्य में एनएड 3/1 अनिल कुमार बेसन के कथन लेखबद्ध करवाते हुए प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप दस्तावेजात प्रदर्श एनएड 3/1 लगायत एनएड 3/8 पेश कर प्रदर्शित करवाये।

राजस्थान दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

08– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विरचित विवाद्यकों पर विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या–1 ::

09– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण/आवेदकगण पर रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण/आवेदकगण ने अपने अभिवचनों में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 14.09.2008 को मृतक भंवरसिंह वक्त करीब दोपहर को 2.30 बजे थर्मल से इंदिरा सर्कल होते हुए एनएच 15 पर अपनी मारूति कार संख्या सीएच–01, 1एन–7133 से जा रहा था तभी ट्रक नंबर आरजे 07 जीए 0988 के चालक ताराचन्द ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर कार के ऊपर चढ़ा दिया और कार को 30–40 फुट तक घसीटता हुआ ले गया जिसके परिणामस्वरूप कार सवार भंवरसिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

10– इस सम्बन्ध में आवेदकगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में आवेदिका विष्णुकंवर एड 1 ने कथन किया कि उसका पति कार नंबर सीएच 01–1एन 7133 पर सवार होकर सूरतगढ़ के इंदिरा सर्किल से माणकसर की ओर जा रहा था, दोपहर 2.30 बजे अनावेदक संख्या 1 ने वाहन नंबर आरजे 07 जीए 0988 को तेजी व लापरवाही से चलाकर कार के टककर मार दी जिससे कारित चोटों के कारण उसके पति की मौके पर मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 576/2008 पंजीबद्ध होने के पश्चात् अनावेदक संख्या 1 को दुर्घटना के लिए दोषी मानकर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दुर्घटना से संबंधित एफआईआर प्रदर्श 1, चार्जशीट प्रदर्श 2, नक्शामौका व हालात मौका प्रदर्श 3, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 5, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 6 इत्यादि को प्रदर्शित करवाया। प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि दुर्घटना के समय वह मौके पर नहीं थी।

11– साक्षी ए ड 2 सुनील जालप ने इस सम्बन्ध में कथन किया कि वह एसटीपीएस सूरतगढ़ में कर्मचारी होकर मृतक भंवरसिंह को जानता था। वह व जोगेन्द्रसिंह दिनांक 14.09.2008 को सूरतगढ़ के 220 केवी स्टेशन जा रहे थे दिन में करीबन 2.30 बजे एनएच 15 सूरतगढ़ पर एक ट्रक संख्या आरजे 07 जीए 0988

का चालक उक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और एक मारूति कार के टक्कर मार दी जिस पर वे व कई अन्य लोग वहां पहुंचे व कार चालक को संभाला तो कार चालक भंवरसिंह के गहरी चोटे लगी हुई थी जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने ट्रक चालक को पकड़ने का प्रयास किया मगर वह ट्रक मौके पर ही छोड़कर भाग गया, उन्होंने मौके पर ही ट्रक के नंबर नोट कर लिए थे तथा दुर्घटना की बाबत् जोगेन्द्रसिंह ने पुलिस थाना सूरतगढ़ में एफआईआर दर्ज करवायी थी। प्रति परीक्षण में इस गवाह के द्वारा कोई भी विरोधाभासी कथन नहीं किए गए।

12— इसके विपरीत अनावेदक संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में एनएड3/1 अनिल कुमार ने कथन किया कि दिनांक 14.09.2008 को मृतक स्वयं के द्वारा कार संख्या सीएच 01—1एन 7133 को गलत दिशा में चलाकर अपनी दिशा में चल रहे ट्रक नंबर आरजे 07 जीए 0988 के टक्कर मारी जिससे भंवरसिंह की दुर्घटना हो गया, ट्रक अपनी सही दिशा में चल रहा था।

13— दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/आवेदकगण ने क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की ही पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के अनुसार यह विवाद्यक आवेदकगण के पक्ष में पूर्णतया साबित है। अतः उक्त विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाने का निवेदन किया।

14— अयाचीगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से दौराने बहस संयुक्त रूप से कथन किया कि उक्त दुर्घटना स्वयं कार चालक भंवरसिंह की गलती के कारण घटित हुई है जिसके लिए अनावेदकगण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अन्त में यह विवाद्यक आवेदकगण के विरूद्ध तय करने का निवेदन किया।

15— उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया एवं, पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विमला देवी बनाम हिलाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य 2009 (13) एससीसी पेज 513** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—

"In a situation of this nature the Tribunal has rightly taken a holistic

view of the matter. It was necessary to be borne in mind that strict proof of an accident caused by a prosecutor bus in a particular manner may not be possible to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The stanelosed of proof beyond reasonable doubt could not have been applied for the said purpose."

16— उक्त अभिमत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टान्त **परमेश्वरी व अन्य बनाम अमीरचन्द व अन्य 2011 (1) एस.सी.आर. पेज 1096** में भी आलोकित किया है।

17— अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में, विपक्षीगण की मुख्य आपत्ति यह रही है कि दुर्घटना कार चालक स्वयं मृतक भंवरसिंह की गलती से कारित हुई है, इस संबंध में मेरे मत् में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श 1)में ट्रक संख्या आरजे 07 जीए 0988 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर कार नंबर सीएच 01—1एन—7133 के टक्कर मारना अंकित है। इसके अतिरिक्त, पुलिस के द्वारा अनुसंधान के दौरान मुर्तिब नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श 3 के अनुशीलन से दर्शित है कि मार्क एक्स स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसी मृतक की लाश, ए मार्क पर कार, बी मार्क से दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक दर्शाया गया है तथा सी स्थान से ए मार्क तक सड़क पर कार को ट्रक के द्वारा घसीटने से बना निशान दर्शाया गया है तथा ट्रक सड़क के उतरी छोर पर व कार सड़क के आधे भाग के बीच खड़ी होना दर्शाया गया है जो स्पष्ट रूप से, ट्रक के चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही को दर्शित है। यदि ट्रक का चालक अपने वाहन को यातायात नियमों की पालना करते हुए, वाहन पर नियंत्रण रखते हुए, सम्यक सतर्कता, सावधानी एवं सुरक्षा से वाहन चलाता अथवा मौके पर ब्रेक लगाकर या हार्न बजाकर वाहन को नियंत्रित करता, तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। ट्रक चालक द्वारा उक्त सावधानियॉ बरती गई हो, ऐसी साक्ष्य नहीं है। उक्त प्रदर्श 3 में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है।

18— इस प्रकार ट्रक चालक के विरूद्ध इस दुर्घटना को कारित करने में उपेक्षा एवं लापरवाही का तथ्य बखूबी प्रमाणित होता है। उपरोक्त समस्त मौखिक

व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर तथा अप्रार्थीगण की खण्डन साक्ष्य के अभाव में, इस दुर्घटना में प्रार्थी की सम्पूर्ण या आंशिक लापरवाही व उपेक्षा का तथ्य साबित करवाने में विपक्षीगण पूर्ण रूप से असफल रहे हैं।

19— इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या आर जे 07 जीए 0988 के स्वामी किशनलाल को पुलिस थाना सूरतगढ़ द्वारा दौराने अनुसंधान नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम वी एक्ट प्रदर्श 6 दिया गया है, इस नोटिस के जवाब से वर वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन पर विपक्षी ताराचन्द चालक होना साबित है, अर्थात् वरवक्त दुर्घटना ताराचन्द चालक उक्त नंबरी ट्रक को वाहन स्वामी किशनलाल के नियोजन एवं हितार्थ वाहन का संचालन कर रहा था, का तथ्य प्रमाणित है।

20— पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 से दुर्घटना में भंवरसिंह के आयी बहुमुखी चोटों से अत्याधिक रक्तस्राव होने एवं शॉक से भंवरसिंह की मृत्यु होना प्रमाणित है। पुलिस ने अनुसंधान के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ताराचन्द की उपेक्षा एवं लापरवाही प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र प्रदर्श 2 विचारण न्याायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार, प्रार्थीगण यह प्रमाणित करवाने में सफल रहे हैं कि दिनांक 14.09.2008 को वक्त 2.30 पीएम पर वाके सड़क आम नेशनल हाईवे 15 सूरतगढ़ स्थित इंदिरा सर्कल से मानकसर के बीच पर ट्रक संख्या आर जे 07 जीए 0988 के चालक विपक्षी संख्या 1 ताराचंद ने लापरवाही से चलाकर मारूति कार संख्या सीएच 01—1एन—7133 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप कार चालक भंवरसिंह की मृत्यु हुई। इस प्रकार उक्त विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण/आवेदकगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या—2 ::</u>

21— उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर रहा है। उक्त विवाद्यक का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से हम अग्रानुसार तीन भागों में करना उचित समझते हैं—

(1) अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की आपत्तियों की बाबत्–

22– अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब क्लेम याचिका की अतिरिक्त आपत्तियों की मद् में यह विशेष कथन प्रकटित किया गया है कि मृतक के पास दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा दुर्घटना स्वयं मृतक भंवरसिंह की गलती एवं लापरवाही से कारित हुई है। इस संबंध में विवाद्यक संख्या–1 में विस्तृत विवेचन किया जाकर यह निष्कर्ष पारित किया गया है कि दुर्घटना मृतक भंवरसिंह की गलती एवं लापरवाही से नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 ताराचन्द की गलती एवं लापरवाही के कारित घटित हुई है तथा बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित साक्षी एनएड 3/1 अनिल कुमार ने अपनी सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ट्रक का बीमा दुर्घटना वाले दिन वैध एवं प्रभावी था तथा ट्रक चालक का लाईसेन्स दुर्घटना वाले दिन वैध एवं प्रभावी था। वरवक्त दुर्घटना कार चालक मृतक भंवरसिंह के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स नहीं था, इस तथ्य को साबित करने का भार पूर्णतया बीमा कम्पनी पर था जिसे बीमा कम्पनी अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रही है, लिहाजा बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

(2) क्षतिपूर्ति राशि तय करने बाबत्–

आयु व गुणांक के संबंध में :–

23– प्रार्थी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका में वरवक्त दुर्घटना मृतक भंवरसिंह की आयु 43 वर्ष होना वर्णित किया है, इस बाबत मृतक भंवरसिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 5 पेश की गई है जिसमें मृतक की आयु 45 वर्ष अंकित की गई है लेकिन प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मृतक भंवरसिंह का आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रदर्श 9ए तथा स्वयं मृतक भंवरसिंह की आयकर विवरणी वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 क्रमशः प्रदर्श 11, 12 एवं 13 में भंवरसिंह की जन्मतिथि 15.12.1964 अंकित की हुई है। उक्त दस्तावेजात स्वयं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गए हैं जिन पर अविश्वास किए जाने का अभिलेख पर कोई कारण मौजूद नहीं है। अतः प्रकरण में पेश साक्ष्य के निष्कर्ष स्वरूप मृतक भंवरसिंह की आयु दुर्घटना के समय 43 वर्ष 8 माह 29 दिवस होती है तथा 41 से 45 वर्ष

आयुवर्ग में होने से साक्ष्य के अनुसार माननीय नजीर **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन एम ए सी डी 2009(एससी) पेज 353** में प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुसार (41 से 45 आयुवर्ग के लिये) **14** का गुणांक प्रयुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आय के संबंध में :–

24– प्रार्थीया विष्णुकंवर ए ड 1 ने इस संबंध में मोखिक साक्ष्य में कथन किया है कि दुर्घटना के समय उसका पति भंवरसिंह मै0 गोविन्दसिंह कंट्रक्टर में मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर सालाना 1,44,800/–रूपये आय प्राप्त करता था। इसके अलावा भंवरसिंह की एक फर्म मै0 अरूण इंजीनियरिंग वर्क्स भी थी जिससे भी उन्हें प्रतिमाह 16,000/–रूपये की आय प्राप्त होती थी, जिनकी कुल आय 28,000/–रूपये प्रतिमाह थी। उनके द्वारा छबड़ा, सूरतगढ़ रामगढ़, कोटा आदि के थर्मल पावर स्टेशनों पर बड़े ठेके ले रखे थे। इस गवाह द्वारा अपने कथनों में समर्थन में मृतक भंवरसिंह का पैन कार्ड प्रदर्श 9, आयकर के सरल फार्म वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2007–08 क्रमशः प्रदर्श 11 से 13, थर्मल में आने जाने का पहचान पत्र प्रदर्श 15 व थर्मल पावर में कांट्रक्ट के कागज क्रमशः प्रदर्श 16 से 18 व अरूण इंजीनियरिंग वर्क्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श 19 पेश कर प्रदर्शित करवाये हैं। प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है।

25– साक्षी ए ड 2 सुनील जालप एसटीपीएस सूरतगढ़ का कर्मचारी है जिसने सशपथ कथन किया है कि वह भंवरसिंह को जानता था जो फर्म मै0 गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर के मैनेजर थे और उनकी एक और अन्य कम्पनी मै0 अरूणा इंजीनियरिंग भी थी, उक्त दोनो फर्मे सूरतगढ़ थर्मल में ठेके लेती थी। प्रति परीक्षण में इस गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि इस संबंध में उसने कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

26– साक्षी ए ड 3 कमल शर्मा ने सशपथ कथन किया है कि वह मै. गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर में सुपरवाईजर के पद पर गत 13 साल से कार्यरत है, वह भंवरसिंह को जानता था जो मै0 गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत होकर उसके अधीनस्थ कार्यरत था जिसे प्रतिमाह 12 हजार रूपये वेतन व अन्य भत्ते दिए

जाते थे। इसके अलावा भंवरसिंह की स्वयं की एक फर्म मै0 अरूणा इंजीनियरिंग के नाम से थी जिसके वे स्वयं संचालक होकर प्रतिमाह 16 हजार रूपये आय अर्जित करते थे। प्रति परीक्षण में इस गवाह ने कथन किया कि उसने उक्त दोनों फर्मो में काम करने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए और न ही भंवरसिंह को 16 हजार रूपये वेतन दिए जाने के संबंध में ही कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

27– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से दुर्घटना के समय मृतक भंवरसिंह की कुल आय 28000/– रूपये प्रतिमाह होना प्रमाणित है जिसमें समय के साथ बढ़ोतरी होती। अतः मृतक की आय 28,000/– रूपये मासिक और भविष्य में उसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की संभावना के दृष्टिगत आय की गणना किए जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **एआईआर 2014 सुप्रीम कोर्ट 706 पुतम्मा व अन्य बनाम के एल नारायण रेड्डी व अन्य** प्रस्तुत किया।

28– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किए कि दुर्घटना प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वरवक्त दुर्घटना मृतक की आय प्रमाणित नहीं है लिहाजा मृतक की आय की गणना अकुशल श्रमिक के रूप में करने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत, **'2010(1) डीएनजे (राज.) 383 आरएसआरटीसी बनाम बलबीरसिंह व अन्य तथा 2009 डीएनजे (एससी) 119 सैयद बशीर अहमद व अन्य बनाम मोहम्मद जमील व अन्य''** प्रस्तुत किए।

29– हमारे द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

30– पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 19 फर्म श्री अरूणा इंजीनियरिंग वर्क्स के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति है जिसमें भंवरसिंह को प्रोपराईटर के रूप में अंकित किया गया है तथा प्रदर्श 16 से 18 श्री अरूणा इंजीनियरिंग वर्क्स को जारी वर्क्स ऑर्डर की प्रतियां है लेकिन उक्त दस्तावेजात में भंवरसिंह की आय के संबंध में अंकन नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेजात के अनुशीलन से मृतक भंवरसिंह की उक्त फर्म से 16 हजार रूपये प्रतिमाह आय होती हो, ऐसा दर्शित एवं प्रमाणित

नहीं होता है।

31— जहां तक मृतक भंवरसिंह द्वारा फर्म गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर से मृतक के द्वारा 16 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह ए ड 3 कमल शर्मा ने अपनी साक्ष्य में यह अवश्य कथन किया है कि वह उक्त फर्म में सुपरवाईजर के पद पर गत 13 सालों से कार्यरत है तथा भंवरसिंह को जानता था जो उक्त फर्म में मैनेजर के पर कार्यरत होकर उसके अधीनस्थ था तथा फर्म द्वारा उसे 12 हजार रूपये वेतन तथा अन्य भते व खर्च अदा किये जाते थे लेकिन प्रति परीक्षण में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने उक्त फर्म में कार्य करने एवं भंवरसिंह को 16 हजार रूपये मासिक वेतन दिए जाने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

32— इस प्रकार याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत गवाह कमल शर्मा की साक्ष्य से यह साबित नहीं माना जा सकता कि मृतक को मै0 गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर में मैनेजर के पद पर कार्य करने के फलस्वरूप 16 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता हो।

33— यहां यह उल्लेखनीय व गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से पत्रावली पर आयकर विवरणी वर्ष 2005—06 प्रदर्श 11 जिसमे आय 1,05,340/— रूपये, वर्ष 2006—07 आय 1,26,300/— रूपये एवं वर्ष 2007—08 प्रदर्श 13 आय 1,44,800/— रूपये पत्रावली पर प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराते हुए साबित की गई है। प्रार्थीगण की ओर से आयकर विवरणी प्रदर्श 13 कर निर्धारण वर्ष 2007—08 को कार्यालय आयकर विभाग वृत 2 (6) कोटा में दिनांक 23.04.2007 को दाखिल किया जाना प्रकटित होता है। उक्त प्रलेख में आयकर विभाग की सील मोहर व प्राप्ति संख्या भी अंकित किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से उक्त आयकर विवरणी मृतक भंवरसिंह की मृत्यु दिनांक 14.09.2008 से पूर्व अर्थात दिनांक 23.04.2007 को अंतिम बार संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया जाना भी दृष्टिगोचर होता है। उक्त आयकर विवरणी में मृतक की सकल आय 1,44,800/— रूपये दर्शित करते हुए टैक्स शून्य भरा जाना भी उल्लेखित किया गया है। हालांकि आयकर को वार्षिक आय में से कटौति करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्यामवती बनाम करमसिंह एमएसीडी 2010 (एस सी) 245**

में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है लेकिन हस्तगत मामले में मृतक के द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी में मृतक के द्वारा दर्शित सुसंगत वार्षिक आय में से कोई आयकर की कटौति नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मृतक भंवरसिंह की सुसंगत वार्षिक आय 1,44,800/— रूपये क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु मानी जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत् प्रकट होता है।

34— जहां तक उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **एआईआर 2014 सुप्रीम कोर्ट 706 पुत्तमा बनाम के एल नारायण रेड्डी** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत् प्रतिपादित किया है कि, ''Rising inflation, cost of living and increasing salaries has to be kept in consideration."

35— अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत, ''**डीएनजे 2010 (1) पेज 383**'' में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुर्घटनास्थल पर घटित दुर्घटना के हालात व परिस्थितियों व दुर्घटना घटित होने के तरीके को मद्देनजर रखते हुए बस चालक की 25 प्रतिशत व जीप चालक की 75 प्रतिशत की सीमा तक उपेक्षा व लापरवाही को संधारित किया गया है तथा न्यायिक दृष्टांत, ''**डीएनजे 2009 एससी पेज 119**'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 166, 163ए, 168 मोटरयान कानून के प्रावधानों के अंतर्गत दाखिल मुआवजा याचिका में प्रकरण के तथ्यों के आधार पर यह मत् प्रतिपादित किया है कि यदि आयकर विवरणी के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाता है तो उस स्थिति में यदि ऐसी आय के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य न हो तो उस अवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयकर विवरणी में निर्धारित आय सात हजार रूपये को क्षतिपूर्ति के निर्धारण में उचित नहीं माना है लेकिन हस्तगत मामले में मृतक भंवरसिंह की ओर से याचिकाकर्तागण ने आयकर विवरणी के संबंध में मौखिक साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत की है एवं मृतक के द्वारा स्वयं का कार्य किया जाना भी प्रकटित किया गया है।

स्वयं के खर्चे की कटोती का निर्धारण :—

36— इस मामले में प्रार्थीगण में से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पात्र व योग्य होने सम्बन्धी बिन्दु पर विचार किया गया है। प्रार्थी पक्ष द्वारा याचिका में 3 आश्रितगण,

मृतक की पत्नी एवं पुत्र, पुत्री को आधारित किया गया है जिसके आधार पर मृतक की आय में से स्वयं के खर्च के रूप में 1/3 भाग राशि की कटौती किया जाना उचित है, इस संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एम ए सी डी 2009(एससी) पेज 353 एवं 2009(1) एसीसी पेज 29 सैयद बशीर बनाम मोहम्मद जमील में** मत प्रतिपादित किया गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मृतक निर्धारित आय 1,44,800/—रूपये में से **1/3** भाग, राशि 48,267/—रूपये स्वयं के खर्चे के रूप में कटौती किया जाना न्यायोचित है, शेष राशि की हानि स्वरूप मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

<u>भावी सम्भाविता राशि :—</u>

37— इस संबंध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतक वरवक्त दुर्धटना 43 वर्ष का नवयुवक था एवं मै0 गोविन्दसिंह कांट्रेक्टर एवं मै0 श्री अरूणा इंजीनियरिंग वर्क्स में कार्य करके परिवार के सदस्यों का जीवनयापन व भरण पोषण करता था। वर्तमान समय में महंगाई दर को देखते हुए उसकी आय एवं कार्यकुशलता में अवश्य बढोतरी होती। ऐसी स्थिति में मृतक के भावी संभाविता राशि की हानि होने को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत न्यूनतम राशि को बढाकर प्रतिकर की गणना की जावे।

38— माननीय न्यायिक दृष्टान्त **2013 ए सी जे पेज 1403 (एस सी) राजेश बनाम राजवीर सिंह व अन्य (माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वृहद पीठ)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि :—

"Quantum- Fatal accident-Principles of assessment- Future prospects- Whether formula for increase of income for future prospects adopted for persons with permanent jobs in Sarla Verma's case, 2009 ACJ 1298 (SC), may also be applied to persons who were self-employed or were engaged on fixed wages-Held: yes; 50 per cent of actual income (after deduction of tax) for persons below 40 years; **30 per cent for age group of 40 to 50 years**; 15 per cent for age group of 50 to 60 years; but no addition

thereafter."

39— अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में निजी कार्य के रूप में आय की बढोतरी नहीं होती हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। मेरे विनम्र मत में बढती महंगाई के दौर में व्यक्ति की समय के साथ उत्तरोत्तर आय में बढोतरी होती है। अतः मृतक की उम्र 43 वर्ष को मध्यनजर रखते हुए माननीय न्यायिक दृष्टान्त **2013 ए सी जे पेज 1403 (एस सी) राजेश बनाम राजवीर सिंह व अन्य** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में मृतक भंवरसिंह की निर्धारित आय में भावी प्रत्याशा में 30 प्रतिशत की न्यूनतम राशि जोडकर क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना न्यायसम्मत है। इस प्रकार, उक्त विवेचन के अनुसार एवं उक्त परिप्रेक्ष्य में गणना का निर्धारण किये जाने पर अग्र वर्णित अनुसार प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना न्यायसम्मत है :—

<u>**क्षतिपूर्ति राशि की गणनाः—**</u>

1. पारिवारिक निर्भरता हेतु वार्षिक आय 1,44,800/रू जिसमें
30 प्रतिशत भावी प्रत्याशा की हानि 43,440/—रू जोडे
जाने पर उक्त राशि 1,44,800 + 43,440 = 1,88,240/रू वार्षिक
के आधार पर 1,88,240 x 14 = 26,35,360/—
में से मृतक के जीवित रहने पर 1/3 भाग
राशि स्वयं के खर्चे की कटौती कम करने पर
26,35,360—8,78,453 = शेष राशि 17,56,907/—रू
कुल राशि :— = **17,56,907/—रू**

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त
राजेश बनाम राजवीर में प्रतिपादित सिद्धान्त
की रोशनी में लाड—प्यार, सेवा सुश्रुषा से वंचना एवं
अंतिम संस्कार आदि मद में राशि अग्र वर्णितानुसार—

2(i) प्रार्थीगण को प्रेम प्यार स्नेह से
वंचित होने हेतु = **1,00,000/—**

2(ii) अंतिम संस्कार व परिवहन हेतु = **25,000/—**

दुर्घटना दावा अधिकरण जिला श्रीगंगानगर

कुल प्रतिकर राशि 18,81,907/— रूपये

40— इस प्रकार कुल **18,81,907**/—रूपये विभिन्न मदों में दिलाया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। अन्य किसी मद में कोई राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

41— जहां तक प्रतिकर अदायगी के उत्तरदायित्व का प्रश्न है, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का चालक अप्रार्थी संख्या 1 ताराचन्द था जो अयाची संख्या 2 किशनलाल के नियोजनार्थ एवं लाभार्थ उक्त वाहन का चालन कर रहा था तथा अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी ओफेडिंग वाहन की बीमा कम्पनी थी। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त प्रतिकर अदायगी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संयुक्ततः एवं पृथकतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की बनती है।

<u>विवाद्यक संख्या —3 (अनुतोष) ::</u>

42— विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है, अतः प्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 से संयुक्ततः एवं पृथकततः प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>:: पंचाट ::</u>

43— अतः प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से संयुक्ततः व पृथकततः कुल प्रतिकर राशि **18,81,907**/—रूपये मय क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 30.03.2009 से ता अदायगी 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त प्रतिकर राशि में पूर्व में धारा 140 मोटरयान अधिनियम के तहत यदि कोई प्रतिकर राशि अदा की गई है तो वह नियमानुसार समायोजित की जायेगी।

44— क्लेम याचिका प्रस्तुत किए जाने की दिनांक 30.03.2009 को क्लेम याचिका के शीर्षक में प्रार्थीया संख्या 3 हिनाकंवर की आयु 13 वर्ष अंकित की गई है जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त प्रार्थीया संख्या 3 हिनांकवर की आयु 18 वर्ष से अधिक होकर व्यस्क होना प्रकटित होता है।

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	बचत खाता	मियादी खाता	अवधि
1.	विष्णुकंवर	31,907/— रूपये मय सम्पूर्ण प्रतिकर राशि पर देय सम्पूर्ण ब्याज राशि	1,00,000/— 2,00,000/— 3,00,000/—	1 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए
2.	रविन्द्र प्रताप	25,000/—	1,00,000/— 2,00,000/— 3,00,000/—	1 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए
3.	हिनांकवर	25,000/—	1,00,000/— 2,00,000/— 3,00,000/—	1 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(राजकुमार शर्मा)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

45— निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 02.07.2015 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजकुमार शर्मा)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।